कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी

पत्रांक　　　　　　　　　　　　दिनांक　　फरवरी,2020

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.)

नगर निगम हल्द्वानी द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था हेतु नगर निगम क्षेत्रान्र्गत 05 स्थलों में ट्रैफिक लाईट सिगनल निर्माण,रख–रखाव एवं संचालन हेतु, बी.ओ.टी. मोड में अभिरूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) आमंत्रित की जाती है। ट्रैफिक लाईट सिगनल के निर्माण,रख–रखाव एवं संचालन हेतु निर्माता कम्पनी (OEM,Original Equipment Manufacture) जिनका ट्रैफिक लाईट सिगनल निर्माण,रख–रखाव एवं संचालन के कार्य में दक्ष हो,से सील बन्द प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। उक्त ट्रैफिक लाईट सिगनल का निर्माण (MORTH) के मानको के अनुरूप किया जाना है। टैफिक लाईट सिगनल के निर्माण,रख–रखाव एवं संचालन हेतु प्रस्ताव दस वर्ष के लिये आमंत्रित किये जाते है। अभिरूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) दस्तावेज लिफाफे के उपर ट्रैफिक लाईट सिगनल निर्माण,संचालन एवं रख रखाव लिखकर रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी,पिन कोड– 263139 को भेजें। प्रस्ताव प्राप्ती की अन्तिम तिथि 13 मार्च,2020 सांय 5.00 बजे होगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी नगर निगम की वेबसाईड www.nagarnigamhaldwani.in पर उपलब्ध है,तथा संशोधन/अद्यतन हेतु समय–समय पर वैबसाईड का अवलोकन करे।

नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. जिलाधिकारी महोदय नैनीताल।
2. मा.महापौर नगर निगम हल्द्वानी।
3. प्रभारी मार्केटिंग अनुभाग नगर निगम हल्द्वानी।
4. संपादक The pioneer दिल्ली NCR संस्करण हेतु व अमर उजाला उत्तराखंड संस्करण हेतु को कम से कम दरो पर प्रकाशित किये जाने हेतु।
5. स्वास्तिक कम्प्यूटर को नगर निगम की वैबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी

13. उपरोक्त ट्रैफिक लाईट सिगनल निर्माण,रख–रखाव एवं संचालन हेतु लगे व्यक्तियो श्रमिको अथवा कर्मियो का नियमानुसार ई.पी.एफ.,सेवाकर,बीमा तथा सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था कम्पनी को स्वंय करनी होगी।

14. ट्रैफिक लाईट सिगनल का निर्माण Ministery Of Road Transport And Highway (MORTH) की गाईडलाईन के अनुसार किया जाना होगा।

15. ट्रैफिक लाईट सिगनल हेतु Hybrid Solar System की स्थापना करनी होगी।

16. JOINT VENTURE की दशा में Lead Partner को (OEM,Original Equipment Manufacture) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

मूल्यांकन के मापदण्ड

अभिरूचि की अभिव्यक्ति में प्राप्त प्रस्ताव का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाना है।

कमांक	पात्रता मानक	अंक
1	निर्माता कम्पनी (OEM,Original Equipment Manufacture) का प्रमाण पत्र	10
2	तकनीकी क्षमता	25
3	संचालन एवं रखरखाव हेतु रणनीति	20
4	विगत तीन वर्ष की आडिट रिर्पोट	10
5	वित्तीय क्षमता (विगत तीन वर्षो 16–17,17–18 व 18–19 में औसतन 01 करोड का टर्न ओवर)	15
6	सरकारी / अर्द्धसरकारी विभागो में विगत 05 वर्षो में 03 ट्रैफिक लाईट सिगनल संतोषजनक रूप से कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र	20

* मूल्यांकन आर्हता पूर्ण करने हेतु न्यूनतम 70 अंक प्राप्त होना आवश्यक है।

कर अधीक्षक
नगर निगम, हल्द्वानी–काठगोदाम

लेखाकार,
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम

सहायक अभियंता
नगर निगम
हल्द्वानी-काठगोदाम,

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम

नगर आयुक्त
नगर निगम, हल्द्वानी

Chief Treasury Officer
NAINITAL.

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.)

1. नगर निगम हल्द्वानी द्वारा टैफिक व्यवस्था हेतु नगर निगम क्षेत्रान्र्गत 05 स्थलों में ट्रैफिक लाईट सिगनल निर्माण,रख–रखाव एवं संचालन हेतु, बी.ओ.टी. मोड में अभिरूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) आमंत्रित की जाती है।
2. अभिरूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) दस्तावेज लिफाफे के उपर ट्रैफिक लाईट सिगनल निर्माण,रख–रखाव एवं संचालन लिखकर रजिस्टर्ड/रपीड पोस्ट द्वारा कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी,पिन कोड– 263139 को भेजें।
3. प्रस्ताव प्राप्ती की अन्तिम तिथी मार्च, 2020 सांय 05:00 बजे तक है। डाक व्यवस्था से विलम्ब हुये प्रस्ताव हेतु नगर निगम उत्तरदायी नही होगा।
4. अभिरूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार बिना कोई कारण बताये नगर आयुक्त नगर निगम, हल्द्वानी को होगा।
5. ट्रैफिक लाईट सिगनल के निर्माण,रख–रखाव एवं संचालन हेतु बी.ओ.टी. मोड में प्रस्ताव 10 वर्ष (दस वर्ष) के लिये आमंत्रित किये जाते है।
6. निविदादाताओ की लघुसूची तैयार की जायेगी। लघुसूची के अनुसार प्रस्ताव हेतु अनुरोध तथा वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा।
7. निर्माता कम्पनी (OEM,Original Equipment Manufacture) द्वारा प्रस्ताव में अंकित धनराशि का दो प्रतिशत की धनराशि का एफ.डी.आर./बैंक गारंटी नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी के नाम देय होगी।
8. यदि निर्माता कम्पनी (OEM,Original Equipment Manufacture) द्वारा ट्रैफिक लाईट सिगनल निर्माण,रख–रखाव एवं संचालन अनुबन्ध की अवधि के मध्य वर्णित शर्तो का उल्लघन किया जाता है,तो आपके द्वारा बन्धक एफ.डी.आर./बैंक गारंटी को टैफिक लाईट सिगनल निर्माण,रख–रखाव एवं संचालन में समायोजित किया जायेगा तथा नगर आयुक्त के आदेशानुसार आपके उपर उक्त अवधि का दण्ड वसूला जा सकता है।
9. यातायात एवं जनसुविधा हेतु यदि नगर निगम अथवा जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने पर कम्पनी/एजेन्सी को कोई क्षति होती है तो नगर निगम द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी।
10. किसी भी स्थल का ट्रैफिक सिगनल खराब होने की दशा में यातायात पुलिस द्वारा सूचना दिये जाने के 04 घण्टे के अन्दर उक्त सिगनल को ठीक करना अनिवार्य होगा।
11. प्रत्येक वर्ष ट्रैफिक लाईट सिगनल के पोल पर रगाई पुताई स्वंय के व्यय पर करनी होगी। तथा पोल जंग रहित व मजबूत होना चाहिए।
12. टैफिक सिगनल पर बिजली के कनैक्शन की व्यवस्था कम्पनी द्वारा स्वंय के व्यय पर ही की जायेगी,व विद्युत बिलो का भुगतान भी स्वंय के व्यय पर करना होगा।

कर अधीक्षक
नगर निगम, हल्द्वानी–काठगोदाम

लेखाकार,
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम.

सहायक अभियन्ता
नगर निगम
हल्द्वानी-काठगोदाम,

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम

नगर आयुक्त
नगर निगम, हल्द्वानी

Chief Treasury Officer
NAINITAL.